

## **प्रेस नोट दिनांक 23.06.2026 जनपद प्रतापगढ़**

प्रेस नोट दिनांक 23.06.2026

थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना महेशगंज पुलिस द्वारा “दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट” के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त मो0 वारिस को गिरफ्तार किया गया-

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत बहोरिकपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्येक्षण/ नेतृत्व में थाना प्रभारी महेशगंज श्री संदीप तिवारी के नेतृत्व में उ0नि0 विजेन्द्र कुमार यादव मय हमराह का सुनील कुमार व का अनिल यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अन्तर्गत मु0अ0सं0 153/2026 धारा 65 (1)/126(2)/351 (3) BNS व 3a/4 (2) पॉक्सो एक्ट व 3 (1)w, 3 (2) va, 3(2) SC/STAct थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त मो0 वारिस पुत्र नूर मुहम्मद निवासी अहलादगंज घोसियाना थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत बहोरिकपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मो0 वारिस पुत्र नूर मुहम्मद निवासी अहलादगंज घोसियाना थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 विजेन्द्र कुमार यादव मय हमराह का सुनील कुमार व का अनिल यादव थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दि0-23.06.2026

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज के उ0नि0 ध्रुव सिंह मय हमराह का विवेक यादव, का0 धर्मेन्द्र चौधरी, रि0म0का0 सपना यादव के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर माननीय न्यायालय ए० सी० जे0 एम0 प्रतापगढ़ 13 मु0न0 6199/09 अ0सं0 62/09 धारा 323,504,506 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी 1.शंकर पुत्र रामकुमार उम्र 30 वर्ष 2. राम कुमार पुत्र दत्तू उम्र 60 वर्ष नि गण पूरे रामचन्दर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. शंकर पुत्र रामकुमार उम्र 30 वर्ष नि0 पूरे रामचन्दर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़
2. राम कुमार पुत्र दत्तू उम्र 60 वर्ष नि0 पूरे रामचन्दर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-

उ0नि0 ध्रुव सिंह मय हमराह का विवेक यादव, का0 धर्मेन्द्र चौधरी, रि0म0का0 सपना यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

**प्रेस नोट दि0-23.06.2026**

**थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़**

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना उदयपुर के उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 जीयन कुमार, रि0का0 गोपाल गिरी, रि0का0 प्रिंस खरवार एवं रि0का0 अखिलेश कुमार पाण्डेय के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु0नं0 624/22 धारा 323/504 भादवि मा0 न्यायालय ACJM लालगंज से संबंधित वारण्टी 01. कृष्ण कुमार उम्र करीब 23 वर्ष पुत्र ईश्वरदीन निवासी ग्राम वंशा का पुरवा कुम्भी आईमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ 02. रामअधीन उम्र करीब 54 वर्ष पुत्र पांचू निवासी ग्राम वंशा का पुरवा कुम्भीआईमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. कृष्ण कुमार उम्र करीब 23 वर्ष पुत्र ईश्वरदीन निवासी ग्राम वंशा का पुरवा कुम्भी आईमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़
02. रामअधीन उम्र करीब 54 वर्ष पुत्र पांचू निवासी ग्राम वंशा का पुरवा कुम्भीआईमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-

उ०नि० अमित द्विवेदी मय हमराह का० जीयन कुमार, रि०का० गोपाल गिरी, रि०का० प्रिंस खरवार एवं रि०का० अखिलेश कुमार पाण्डेय थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 23.04.2026

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज द्वारा गैंगस्टर के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त अजय वर्मा को थाना क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त अजय वर्मा पर जनपद प्रतापगढ़ में हत्या का प्रयास, चोरी, धौखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर लगभग कुल 25 अभियोग पंजीकृत हैं-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज के व०उ०नि० अरूण कुमार सिंह मय हमराह उ०नि० बनवारी लाल पाल, उ०नि० रामनरेश यादव, का० ऋषिराज यादव रि०का० आकाश यादव मय चालक का० आलोक कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 229/26 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त अजय वर्मा पुत्र जमुनाप्रसाद उम्र 27 वर्ष निवासी चौखड़ थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अजय वर्मा पुत्र जमुनाप्रसाद उम्र 27 वर्ष निवासी चौखड़ थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

01- अभियुक्त अजय वर्मा पुत्र जमुनाप्रसाद उम्र 27 वर्ष निवासी चौखड़ थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 103/2024, धारा 457/380 भादवि, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
02. मु०अ०सं० 108/2024, धारा 380/457/411/413/414 भादवि, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
03. मु०अ०सं० 146/2024, धारा 331(4)/305 बीएनएस, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।
04. मु०अ०सं० 161/2024, धारा 331(4)/305 बीएनएस, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।
05. मु०अ०सं० 165/2024, धारा 331(4)/305 बीएनएस, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।
06. मु०अ०सं० 187/2024, धारा 331(4)/305 बीएनएस, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।
07. मु०अ०सं० 194/2024, धारा 331(4)/305 बीएनएस, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।
08. मु०अ०सं० 195/2024, धारा 331(4)/305 बीएनएस, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।
09. मु०अ०सं० 197/2024, धारा 317(2)/331(4)/305 बीएनएस, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
10. मु०अ०सं० 209/2024, धारा 331(4)/305 बीएनएस, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।
11. मु०अ०सं० 229/2024, धारा 331(4)/305 बीएनएस, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

12. मु0अ0सं0 243/2024, धारा 457/380 भादवि, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
13. मु0अ0सं0 259/2024, धारा 25/3 आर्म्स एक्ट व 331(4)/305/317(2) बीएनएस, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।
14. मु0अ0सं0 275/2024, धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।
15. मु0अ0सं0 288/2024, धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।
16. मु0अ0सं0 333/2024, धारा 331(4)/305 बीएनएस, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।
17. मु0अ0सं0 341/2024, धारा 331(4)/317(2) बीएनएस, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।
18. मु0अ0सं0 342/2024, धारा 331(4)/317(2) बीएनएस, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।
19. मु0अ0सं0 398/2024, धारा 305/317(2) बीएनएस, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।
20. मु0अ0सं0 400/2024, धारा 305/317(2) बीएनएस, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।
21. मु0अ0सं0 445/2025, धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
22. मु0अ0सं0 456/2025, धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
23. मु0अ0सं0 464/2025, धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
24. मु0अ0सं0 11/2026 धारा 109(1)/3(5)/351(3)/352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
25. मु0अ0सं0 229/26 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

व0उ0नि0 अरुण कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 बनवारी लाल पाल, उ0नि0 रामनरेश यादव, का0 ऋषिराज यादव रि0का0 आकाश यादव मय चालक का0 आलोक कुमार थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

**प्रेस नोट दिनांक 23.06.2026**

**थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।**

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही: अभियुक्त ऋषभ शुक्ला 02 अदद जिन्दा बम के साथ गिरफ्तार-

थाना पट्टी पुलिस द्वारा 02 अदद जिन्दा अवैध देशी बम के साथ 01 अभियुक्त ऋषभ शुक्ला को क्षेत्रान्तर्गत नहर पुलिया बहद ग्राम कोहराव के पास से किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त ऋषभ शुक्ला पर मारपीट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के मुकदमें जनपद प्रतापगढ़ में है पंजीकृत-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना पट्टी प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 शुभम सिंह, आरक्षी विपिन यादव रि0का0 अभिषेक यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत नहर पुलिया बहद ग्राम कोहराव के पास से 01

अभियुक्त अभियुक्त ऋषभ शुक्ला पुत्र सच्चेलाल शुक्ला उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम सैफाबाद थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को 02 अदद जिन्दा अवैध देशी बम के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त ऋषभ शुक्ला के पास से 02 अदद जिन्दा अवैध देशी बम की बरामदगी के संबंध में थाना पट्टी में मु0अ0सं0 275/26 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अभियुक्त ऋषभ शुक्ला पुत्र सच्चेलाल शुक्ला उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम सैफाबाद थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त अभियुक्त ऋषभ शुक्ला पुत्र सच्चेलाल शुक्ला उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम सैफाबाद थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ का अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 288/2023 धारा 323,504,506 भादवि व 3(1)द,3(1)व,3(2)va एससी/एसटी एक्ट थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 291/2023 धारा 308,323 भादवि थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 150/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़
4. मु0अ0सं0 275/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना पट्टी प्रतापगढ़

बरामदगी-

02 अदद जिन्दा अवैध देशी बम बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 शुभम सिंह, आरक्षी विपिन यादव रि0का0 अभिषेक यादव थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दि0-23.06.2026

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मानिकपुर के उ0नि0 अचिन्त्य शुक्ला मय हमराह के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मा० जिला एवं सैसन जज जनपद प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू सम्बन्धित केश संख्या 848/24, धारा - 323/504/506 भादवि व 3 (1) (r) 13(1)(s)/3(2) (va) एससी/एसटी एक्ट थाना मानिकपुर से संबंधित वारण्टी 01. शिवप्रसाद यादव उर्फ लहरी पुत्र कामता प्रसाद नि० रूप का पुरवा रानीमऊ थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 45 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. शिवप्रसाद यादव उर्फ लहरी पुत्र कामता प्रसाद नि० रूप का पुरवा रानीमऊ थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 45 वर्ष

पुलिस टीम-

उ०नि० अचिन्त्य शुक्ला मय हमराह थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

**प्रेस नोट दिनांक 28.05.2026**

**थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।**

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी का सफल अनावरण, 01 बाल अपचारी को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश गया, चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता —02 चोरी की मोटरसाइकिल सहित 01 बाल अपचारी को थाना क्षेत्रान्तर्गत गुड़िया तालाब कस्बा सिटी के पास ओवर ब्रिज के नीचे के पास से हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश गया-

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्परज सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात के उ०नि० इन्देश प्रजापति मय हमराह का० कुशल यादव, चालक का० विपिन कुमार, रि०का० सुरेन्द्र यादव, रि०का० दिग्विजय चौहान, रि०का० संदीप पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 चोरी की मोटरसाइकिल सहित 01 बाल अपचारी को थाना क्षेत्रान्तर्गत गुड़िया तालाब कस्बा सिटी के पास ओवर ब्रिज के नीचे के पास से हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश गया ।

बाल अपचारी के कब्जे से चोरी की 02 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात में मु०अ०सं० 163/2026 धारा 317 (2), 317(4), 317(5) बीएनएस बनाम 02 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पूछताछ का विवरण-

बाल अपचारी ने पूछताछ में बताया कि जो मौके से भाग गया वह मेरे ही गांव का मेरा साथी था । यह मोटरसाइकिल मैंने और मेरे साथी ने दिनांक 20.06.2026 को सिविल लाइन प्रतापगढ़ के पास से चोरी किया था तथा दूसरा मोटर साइकिल करीब डेढ़ माह पहले चोरी किया था जिसका दिनांक समय याद नहीं हैं । और कहा था कि चलो हम दोनो लोग दोनों मोटरसाइकिलो को बेचकर जो भी पैसा मिलेगा, उसे आपस में बाट लेंगे मोटरसाइकिलो को बेचने के उद्देश्य से ही हम दोनो लोग मोटरसाइकिलों को लेकर जा रहे थे । हम लोगों ने एक मोटरसाइकिल बेचने के लिए बीएसएस अकादमी के पास भी छुपा कर रखी है जिसे चलकर मैं बरामद करा सकता हूं। उस मोटरसाइकिल को भी हम दोनों लोगों ने करीब डेढ़ माह पहले सिनेमा रोड़ आयकर आफिस के

पास प्रतापगढ़ शहर से चोरी किया हुआ था। दिन में हम लोग गाड़ी बेचने के लिए इसलिए नहीं जा रहे थे कि सभी लोग हम लोगों को देख लेते की इन लोगों के पास मोटरसाइकिल कहां से आई है। हम लोग इससे पहले एक दो मोटरसाइकिलों को चोरी करके बेच चुके हैं तथा बेचे हुए मोटर साइकिलों से जो पैसा मिलता था उसे बाटकर अपना खर्चा पानी चलाते थे।

स्थानीय पुलिस द्वारा बरामद चोरी की मोटरसाइकिल के संबंध में जानकारी की गई, जिससे ज्ञात हुआ कि उक्त मोटरसाइकिल थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत से चोरी हुई थी। घटना के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 262/2026 एवं मु0अ0सं0 359/2026 पंजीकृत था। जिनका विवरण निम्नवत् है-

प्रथम-

वादी निवासी डेरवा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ द्वारा बताया गया कि दिनांक 01.05.2026 को सायं वह अपने मित्र के नाम पंजीकृत मोटरसाइकिल संख्या UP72BB9929 (बजाज CT-100) को सिनेमा रोड, आयकर कार्यालय के सामने खड़ी कर हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर गया था। लगभग 15 मिनट बाद वापस आने पर उक्त मोटरसाइकिल मौके से गायब मिली, जिसकी काफी खोजबीन करने के बावजूद कोई पता नहीं चल सका। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में 262/2026 धारा 303 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

द्वितीय-

वादी निवासी सिविल लाइन सिटी रोड, थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 20.06.2026 की रात्रि उनके घर के सामने खड़ी हीरो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल संख्या DL85BP6857, जो उनके बड़े भाई के नाम पंजीकृत है, को दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में 359/2026 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

बाल अपचारी का विवरण-

01. 01 बाल अपचारी।

बरामदगी-

चोरी की 02 अदद मोटरसाइकिल बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 इन्देश प्रजापति मय हमराह का0 कुशल यादव, चालक का0 विपिन कुमार, रि0का0 सुरेन्द्र यादव, रि0का0 दिग्विजय चौहान, रि0का0 संदीप पटेल थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

**प्रेस नोट दिनांक 23.06.2026**

**थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।**

हथिगवां पुलिस की तत्परता : BSNL टावर पर चढ़ी युवती को सकुशल उतारा, अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्ता के विरुद्ध की गई विधिक कार्यवाही-

प्रतापगढ़-

आज दिनांक 23.06.2026 को समय लगभग 10:28 बजे थाना हथिगवां पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम मलाका रज्जाकपुर में स्थित बीएसएनएल टावर पर एक युवती चढ़ गई है। सूचना प्राप्त होते ही थाना हथिगवां की महिला उप-निरीक्षक (म0उ0नि0) राखी सिंह, म0रि0का0 प्रिया मौर्या एवं म0रि0का0 सीमा गुप्ता के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुँचीं।

घटनास्थल पर पहुँचते ही पुलिस टीम ने सबसे पहले स्थिति का जायजा लिया। युवती की मानसिक स्थिति को भाँपते हुए पुलिस टीम ने अत्यंत धैर्य का परिचय दिया। म0उ0नि0 राखी सिंह ने स्वयं कमान संभालते हुए युवती से निरंतर संवाद स्थापित किया। पुलिस ने न केवल युवती को शांत करने का प्रयास किया, बल्कि स्थानीय निवासियों की मदद से उसे भावनात्मक रूप से विश्वास में लिया। काफी देर तक चली बातचीत और समझाइश के बाद, पुलिस और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयासों से युवती को सकुशल नीचे उतार लिया गया।

उक्त युवती की पहचान मीनू निर्मल पुत्री स्व0 इंद्रजीत, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी नरसिंहपुर, थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ के रूप में हुई है। घटना के संबंध में म0उ0नि0 राखी सिंह की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 122/2026, धारा 221 बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस ने नियमानुसार आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए अभियुक्ता को हिरासत में ले लिया है। मेडिकल परीक्षण एवं अन्य वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

नोट-

पुलिस प्रशासन ने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी या पारिवारिक विवाद की स्थिति में कानून को हाथ में न लें। ऐसी परिस्थितियों में धैर्य रखें और पुलिस की सहायता लें। इस साहसिक और मानवीय कार्य के लिए स्थानीय जनता ने थाना हथिगवां पुलिस की प्रशंसा की है।

**प्रेस नोट दिनांक- 23.06.2026**

**थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।**

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा “दुष्कर्म” के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त खुशबान को गिरफ्तार किया गया-

थाना लीलापुर पुलिस अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत पदनाथपुर मोड़ तिराहा से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना लीलापुर प्रभारी निरीक्षक श्री अमला सिंह के नेतृत्व में थाना लीलापुर के उ०नि० सुमित कुमार वर्मा मय हमराह रि०का० गौरव आर्य व रि०का० धनंजय राय द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 187/26 धारा 69/352 BNS एक्ट थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त, खुशबान पुत्र मोहदीन खान निवासी ग्राम कटवड़ थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत पदनाथपुर मोड़ तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. खुशबान पुत्र मोहदीन खान निवासी ग्राम कटवड़ थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० सुमित कुमार वर्मा मय हमराह रि०का० गौरव आर्य व रि०का० धनंजय राय थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ ।